उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या- 13/2026/जी-3-558/10-2026/301/2000टी.सी.
लखनऊः दिनांक 07 नवम्बर, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3/2026/सा-3-256/दस-2026/301/2000टी.सी. दिनांक 21.05.2026 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2026 से महँगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2026 से महँगाई राहत 03 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त 03 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जुलाई, 2026 से 63 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-जाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनाँक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व के शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष/ कोषाधिकारीगण।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1,2 एवं ऑडिट-1,2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3) महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(4) समस्त राज्यों के महालेखाकार।

आज्ञा से,
राहुल कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No. 13/2026/G-3-558/10-2026/301/2000T.C.
Dated: Lucknow: 07 November, 2026

Office-Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil/family pensioners.

Vide government order No. 03/2026/G-3-256/10-2026/301/2000T.C. Dated 21 May, 2026 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 58 percent to 60 percent w.e.f. January 01, 2026.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 03 percent w.e.f. July 01, 2026 on the pension/family pension revised/determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016.

3- As a consequence of the above-mentioned 03 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 60 percent to 63 percent with effect from July 01, 2026.

4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings/corporations etc in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners/family pensioners are being issued.

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/Technical Education Departments, whose pension/family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

7- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

Vijai Kumar Singh
Special Secretary, Finance.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

No. & date as above.

Endorsement to,

(1) –All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries to the Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers.

(2) –Accountant General (Account & Entitlement) 1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj.

(3) –Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

(4) –Accountants General of all states.

By order
Rahul Kumar
Under Secretary, Finance.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।